संख्या-19/2015/2054/26-2-2015-100(69)/2010

प्रेषक,

चारूलता

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2015

विषयः - वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-253/स0क0/रा0पा0ला0यो0/2015-16, दिनांक 10.06.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में हुए बजट प्राविधान रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड़ मात्र) की धनराशि शासन के पत्र सं0-1805/26-2-2015-100(69)/2002 टी0सी0, दिनांक 31.07.2015 द्वारा उपलब्ध हुई केन्द्रांश में आवश्यक मैचिंग राज्यांश सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-:

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि में आवश्यक मैचिंग अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी।

4. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से व्यय विवरण समाज कल्याण अनुभाग-2 के साथ-साथ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय।

2- उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

चारूलता
उप सचिव।

संख्या-19/2015/2054(1)/26-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।